

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-क्षय/संस्था/च.वे.श्र./2017/ दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-(7)एफ.डी/नियम /2008 दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14(1)एफ.डी (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री राम स्वरूप लोढा, टीबीएचवी, सवाई माधोपुर को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्था पन जिला	संवर्ग में प्रथम तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	प्रस्तावित तिथि से पूर्व प्राप्त पै बैंड व ग्रेड पे	27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पै बैंड व ग्रेड पे
1.	राम स्वरूप लोढा, टीबीएचवी	सवाई माधोपुर	01.01.90	01.01.17 (27 वर्ष)	पै-बैंड 9300-34800 ग्रेड पै 3600	पै बैंड 9300-34800 ग्रेड पै 4200

(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-क्षय/संस्था/च.वे.श्र./2017/ 82

दिनांक:- 5/07/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को उनके पत्रांक 604 दिनांक 06.06.2017 के सन्दर्भ में।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, सवाई माधोपुर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभासी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।